भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न** संख्या-27

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

## डिजिटल शिक्षा हेतु एपीएएआर

**†27. श्री अरूण भारती:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा एपीएएआर (स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री) प्रणाली, के अंतर्गत विशेषकर 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के संबंध में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार की शिक्षा क्षेत्र की अन्य डिजिटल पहलों के साथ एपीएएआर प्रणाली को एकीकृत करने की कोई योजना है;
(ग) सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में उक्त प्रणाली के एकसमान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार के पास इस बात का ब्यौरा हैं कि उक्त प्रणाली से □ □ □ □ □निकली या □ □ □ □प्रमाण-पत्रों पर अंकुश लगेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या सरकार की आगामी 10 वर्षों में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्कूली शिक्षा से इतर भी एपीएएआर प्रणाली का विस्तार करने, और सभी नागरिकों का आजीवन शैक्षणिक रिकॉर्ड तैयार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) से (ड.): भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बहु-प्रवेश और निकास सुविधा के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच, समान और समावेशी शिक्षा और आजीवन अधिगम की पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना भी है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक इकाई की पहचान करने के लिए एक रजिस्ट्री ढांचे की आवश्यकता है, जो छात्रों/शिक्षार्थियों की जीवन भर की शैक्षणिक और कौशल यात्रा को ट्रैक कर सके, जिसमें क्रेडिट का हस्तांतरण, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरण आदि जैसे कई उपयोग शामिल हैं। इसका उद्देश्य हितधारकों की आवश्यकता के अनुसार कौशल घटक, विकल्प-आधारित पाठ्यक्रम, योजना और पाठ्यक्रम में सुधार के साथ कार्यक्रम के एकीकरण को सुविधाजनक बनाना और ट्रैक करना भी है।

तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के बीच निर्बाध बातचीत के लिए विशिष्ट आईडी बनाने हेतु 29 जुलाई 2021 को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पाठ्यक्रम ढांचे में लचीलापन, बहु प्रवेश बहु निकास, उचित "क्रेडिट हस्तांतरण" के साथ छात्रों की अंतः विषयक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करना और कई स्तरों पर प्रगति और लक्षित निर्णय लेने की दृश्यता को सक्षम बनाना है। एपीएआर आईडी को स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा के साथ-साथ कौशल संस्थानों से दिए गए क्रेडिट को जमा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है

फरवरी 2024 में, देश के हर कोने तक एपीएआर पहल की पहुंच बढ़ाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने एपीएआर आईडी के निर्माण की सुविधा के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है।

छात्रों/शिक्षार्थियों और संस्थानों के लिए नामांकन की विस्तृत प्रक्रिया https://www.abc.gov.in पर उपलब्ध है। सभी राज्य सरकारों को छात्रों के नामांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के साथ-साथ इस प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका के बारे में भी सूचित किया गया है। डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा निर्धारित डेटा सुरक्षा और गोपनीयता दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

*****